बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

आस्ति वसूली शाखा
दिल्ली अंचल कार्यालय
15 एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

दूरभाष: (011) 20815297/98, फैक्स: (011) 26171554, ई-मेल: brmgr1933@mahabank.co.in, bom1933@mahabank.co.in मुख्य कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

परिशिष्ट IV
कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उधारकर्ता/गारंटर को बुलाते हुए दिनांक 11.06.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया।

1. **मैसर्स भारत ट्रेडिंग कंपनी** (कर्जदार)
अपने प्रोपराइटर के माध्यम से - श्रीमती मैमूना खालिद, पत्नी श्री खालिद अनवर # भूतल, पहली और दूसरी मंज़िल पर निर्मित तीन हॉल, संपत्ति संख्या 979, गली संख्या 31, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
दूसरा पता: 1303 एफ/एफ (पहली मंज़िल) सामने की ओर, खसरा संख्या - 64, गली संख्या - 41 और 38, जाफराबाद, उत्तर पूर्वी दिल्ली - 110053

कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 98,06,828.59 **(रुपये अट्ठानबे लाख छः हजार आठ सौ अट्ठाईस और उनसठ पैसे मात्र)** + 11.06.2025 **से आगे 8.80% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज** + **एनपीए की तिथि अर्थात** 29.05.2025 से लागत, शुल्क और व्यय का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी। सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी थी।

कर्जदार के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 06 **मई**, 2026 को **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार उपर्युक्त राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों तथा जमानती का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक के पास बंधक सम्पत्तियों तथा बैंक द्वारा किये गये कब्जे का विवरण निम्नानुसार है :

निर्मित भूतल का इक्विटेबल बंधक, केवल छत के लेवल तक (छत के अधिकारों के बिना), जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज यानी 88.62 वर्ग मीटर है। सम्पत्ति नंबर 1303, खसरा नंबर 64 **मिन** में से, गली नंबर 41 और 38, जाफराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली - 110053; जिसमें सीढ़ियों, रास्ते, प्रवेश द्वार और अन्य साझा सुविधाओं के साझा अधिकार शामिल हैं, साथ ही नीचे की जमीन के अविभाजित आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार भी शामिल हैं। यह सम्पत्ति श्रीमती मैमूना खालिद (पत्नी श्री खालिद अनवर) के नाम पर है, जैसा कि गिफ्ट डीड नंबर 5731 दिनांक 20.07.2023 और उसके बाद के सुधार डीड नंबर 6443 दिनांक 19.08.2024 में दर्ज है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
हस्ता./-
यांगचन डोल्मा
प्राधिकृत अधिकारी तथा मुख्य प्रबंधक
आस्ति वसूली शाखा

तिथि : 07.05.2026
स्थान : दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा,
सी-3, द्वितीय तल, सेक्टर 1, नोएडा 201301. फोन: 0120-2524896
ईमेल: recoveryronoida@canarabank.com

दिनांक 07.05.2026

को,

श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह, निवासी मकान नं. 68, सेक्टर – 115, सोरखा जाहिदाबाद–आई, पी.एस. – सेक्टर 49 नोएडा, तहसील – दादरी, जिला – गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) – 201304

श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह, निवासी देवहार परिया पोस्ट दिरुबधिया पनरिया, पी.एस. चरपोखरी, जिला भोजपुर आरा, भाजपुर, तहकुरी, बिहार ठाकुरी, बिहार – 802207

श्री भानु प्रताप सिंह, पुत्र श्री हर गोविंद सिंह, प्रॉप–पूर्णा हॉस्पिटल निवासी 68 गांव सोरखा जाहिदाबाद सेक्टर 115 जीबी नगर, यूपी 201304

श्री अखिलेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह, निवासी मकान नं. 68, सेक्टर – 115, सोरखा जाहिदाबाद–आई, पी.एस. – सेक्टर 49 नोएडा, तहसील – दादरी, जिला – गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) – 201304

श्री अखिलेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह, निवासी देवहार परिया पोस्ट दिरूबधिया पनरारिया, पी.एस. चरपोखरी, जिला भोजपुर आरा, भाजपुर, तहकुरी, बिहार ठाकुरी, बिहार – 802207

श्री अखिलेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह, अपूर्व हॉस्पिटल निवासी 68 गांव सोरखा जाहिदाबाद सेक्टर 115 जीबी नगर, यूपी 201304

श्री जीतेन्द्र शर्मा पुत्र रामदत्त शर्मा, निवासी ग्राम पंचायतन इनायतपुर पो कासना, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. – 203202

श्री जीतेन्द्र शर्मा पुत्र रामदत्त शर्मा, निवासी बी–278, अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. – 201310

विषय: बकाया राशि का भुगतान हेतु डिमांड/बिल्डर द्वारा उनके प्रस्ताव/अनुरोध के अनुसार भुगतान करने पर संपत्ति जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं

प्रिय महोदय/महोदया,

फ्लैट नंबर बी–105 के लिए आपके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के लिए, 30–04–2017 के त्रिपक्षीय समझौते निष्पादित किए गए थे

1. आप अर्थात श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह संयुक्त रूप से श्री अखिलेश्वर प्रताप सिंह पुत्र श्री हर गोविंद सिंह के साथ,
2. मेसर्स रुद्र बिल्डवेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (बिल्डर), और 3. केनरा बैंक (ई–सिंडिकेट बैंक)।

स्वीकृत शर्तों के अनुसार निर्धारित पुनर्भुगतान का पालन करने में आपकी विफलता के कारण, ऋण खाते दिनांक 31–08–2018 को एनपीए में चले गए हैं। बैंक ने माननीय डीआरटी, लखनऊ के समक्ष ओ ए संख्या 439/2022 (केनरा बैंक बनाम भानु प्रताप) के तहत एक मुकदमा भी दायर किया है, जिसके द्वारा माननीय ट्रिब्यूनल ने दिनांक 07–08–2023 को प्रतिवादियों के विरुद्ध एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि वे निर्णय की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर, आवेदक बैंक प्रतिवादियों की सुरक्षित संपत्तियों, व्यक्तिगत चल संपत्तियों और अचल संपत्तियों से उक्त राशि वसूल करने का हकदार होगा। हाल ही में, बिल्डर ने बैंक से संपर्क किया है और वह फ्लैट बी–105 की बुकिंग रद्द करने को तैयार है। बिल्डर ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक द्वारा सहमत आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर वह प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा।

यह भी देखा गया है कि कई संचारों और एनपीए की तारीख से चार साल बीत जाने के बावजूद, आप अपनी कुल बकाया देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, और आपके ऋण खातों में रु. 75,26,346.16 (रु. पिचहत्तर लाख छब्बीस हजार तीन सौ छियालीस और पैसे सोलह मात्र) की राशि देय और भुगतान योग्य है।

फ्लैटों/यूनिट का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	खाता	फ्लैट नं.	कुल बकाया देय (07.05.2026)
1.	86879730000034	B-105	रु. 75,26,346.16 (रु. पिचहत्तर लाख छब्बीस हजार तीन सौ छियालीस और पैसे सोलह मात्र)

आपसे इस नोटिस की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित समय के भीतर अनुपालन करने में आपकी विफलता की स्थिति में:

1. आपकी विफलता पर, बैंक बिल्डर द्वारा किए जाने वाले आंशिक भुगतान को स्वीकार करके बिल्डर के प्रस्तावों पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा और बैंक द्वारा सहमति के अनुसार आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर पूर्वोक्त संपत्तियों को जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा।
2. बैंक कानून के अनुसार बकाया शेष राशि, लागू ब्याज, लागत और शुल्क सहित वसूलने के लिए अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा।

यह नोटिस बैंक के आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है, जिसमें लागू कानूनों के तहत प्रतिभूतियों के प्रवर्तन और वसूली की कार्रवाई शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इसे निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के अंतिम अवसर के रूप में लें, अन्यथा बैंक बिल्डर के प्रस्तावों पर विचार कर सकता है और आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर संपत्ति को जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा।

भवदीय
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 3)
भूतल एसएसीओ 33-34-35 सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़- 160017

प्रकरण सं. : ओए/1759/2022

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)

एक्स. नं: 31124

भारतीय स्टेट बैंक
विरुद्ध
राकेश कुमार तथा अन्य

प्रति,

(3) मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्पोरेट कार्यालय : एससीओ 196–197, सेक्टर 34–ए, चंडीगढ़ – 160022, अपने प्रबंध निदेशक / निदेशक / प्रधान अधिकारी (डेवलपर / बिल्डर / प्रोमोटर तथा प्रतिवादी सं. 1–2 से ऋण राशि के प्राप्तकर्ता के भी माध्यम से)

(4) मैसर्स ब्रॉन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 57, एलजी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाबर रोड, नई दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली – 110001, इसके प्रबंध निदेशक / निदेशक / प्रधान अधिकारी (उस संपूर्ण प्रोजेक्ट के स्वामी जिस पर प्रतिवादी सं. 1–2 द्वारा फ्लैट खरीदा गया तथा प्रतिवादी सं. 3 के माध्यम से ऋण राशि के प्राप्तकर्ता के भी माध्यम से)।

न्यायालयी आदेश (समन्स)

जबकि, **ओए/1759/2022,** दिनांक 23/04/2026 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह माननीय अधिकरण **रु. 23,18,713/–** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

(1) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं / दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;
(3) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिबंधित किया जाता है;
(4) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और / या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गईं अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;
(5) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और **16–07–2026 को प्रातः 10:30 बजे** रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा। आज दिनांक **27/04/2026** को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 3)

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (एआरएमबी), 1, पलटन बाजार, क्लॉक टावर, जिला– देहरादून
ई–मेल: cs8218@pnb.bank.in, मो0 नं0: 9536582435, 9113111048

ई–नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	डिमांड नोटिस सरफेसी 13(2) के अनुसार / बकाया राशि दिनांक / कब्जे दिनांक सरफेसी 13(4) के अनुसार / कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / ईएमडी जमा के अंतिम तिथि / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों का ज्ञात प्रभार का विवरण
	सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) एवं नियम (9) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।					
1	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** **ऋणी:** मैसर्स वल्लभ क्रिएशन, पता 1: दुकान का नाम- डव, दुकान संख्या 10/11, मिडो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून, पता 2: मकान संख्या- 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। 2. प्रो0 श्री नमन जैन पुत्र श्री आशु जैन, पता 1: मकान संख्या 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। पता 2: शरामन वाटिका, हंबरन रोड, लुधियाना, पंजाब। **गारन्टर:** श्री नीरज जैन, पता1: मकान संख्या 4737, जैन मंदिर रोड, निकट सुंदर नगर पुलिस स्टेशन, सुंदर नगर तरफ मैदान, लुधियाना, पंजाब। पता 2: सी/ओ मनीषा जैन, शरामन वाटिका, हंबरन रोड, लुधियाना, पंजाब। पता 3: मकान नं0 59, पूर्वी ज्योति नगर, लोनी रोड, दिल्ली।	बंधक आवासीय सम्पत्ति एम0सी0 नं0 B-XXIV-4736/1 माप क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, खसरा नं0 144, खाता नं0 874/943, जमाबंदी सन् 2007-08, स्थित मौजा तराफ सैदान हदबास्ट नं0 172, स्थित सुंदर नगर, तहसील एवं जिला- लुधियाना। सीमाएँ:- उत्तर: श्री रणजीत की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, दक्षिण: मनीषा जैन की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पूर्व: रास्ता साइड माप 30 फीट, पश्चिम: प्लॉट नं0 10, साइड माप 30 फीट। सम्पत्ति स्वामी श्री नमन जैन पुत्र श्री आशु जैन।	25.04.2019 रु0 **2,02,19,681.68** (रूपये दो करोड़ दो लाख उन्नीस हजार छ सौ इक्यासी एवं अड़सठ पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्यय वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.04.2019 से पूर्ण भुगतान तक 21.09.2022 **(भौतिक कब्जा)**	रू0 90,10,000/- रू0 9,01,000/- 26.05.2026 शाम 4 बजे तक रू0 1,00,000/-	**26.05.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को कोई ज्ञात नहीं**

नियम व शर्तें : 1. बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। 2. नीलामी की सम्पत्तियों को जहाँ है, जैसा है, जो है के आधार पर बिक्री की जायेगी। 3. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिय किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेही नही होगे। 4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्लेटफार्म पर उपलब्ध वेबसाइट: https://baanknet.com/. 5. विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट https://baanknet.com/ पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।

सरफेसी ऐक्ट 2002 के नियम 8(6) एवं नियम (9) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक– 08.05.2026 स्थान– देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

एआरएमबी पूर्वी दिल्ली; पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091,
ई-मेल :cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर **"जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / नाम एवं राशि कर्जदार/जमानती खाता का पता	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि / सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि / कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण / बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) / संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण / अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	**शा./शा.का.: सिविल लाइंस, दिल्ली** (011500) मेसर्स बालाजी टेलीकॉम - प्रोप्राइटर - श्री विकास गोयल पुत्र श्री एस.सी. गोयल (कर्जदार) पता: 221, दूसरी मंजिल, गली नंबर 17/18, बेदोन पुरा, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, साथ ही: 2922/14, दुकान नंबर 1, बेदोन पुरा, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 श्री विकास गोयल पुत्र श्री एस.सी. गोयल, पता: 14/37, शक्ति नगर, नई दिल्ली-110007	03.10.2016 रु. 900.37 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 10.04.2017 भौतिक	1. सर्विस अपार्टमेंट (एसए) संख्या 909 का इक्विटेबल बंधककर्ता, नौवीं मंजिल पर, लगभग 66.88 वर्ग मीटर (लगभग 720 वर्ग फुट) का कवर्ड क्षेत्रफल, छत के अधिकार के बिना, फिटिंग और फिक्स्चर से सुसज्जित, वाणिज्यिक परिसर और होटल में स्थित, प्लॉट संख्या 4 पर निर्मित, होटल रेडिसन ब्लू, द्वारका सिटी सेंटर, सेक्टर-13, नई दिल्ली 2. सर्विस अपार्टमेंट संख्या 1036 का इक्विटेबल बंधककर्ता, 10वीं मंजिल, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट संख्या 4, द्वारका सिटी (रेडिसन होटल कॉम्प्लेक्स) सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली में निर्मित वाणिज्यिक परिसर और होटल में स्थित, क्षेत्रफल 70.98 वर्ग मीटर	रु. 130.74 लाख रु. 13.08 लाख (26.05.2026) रु. 25000/- रु. 137.55 लाख रु. 13.80 लाख (26.05.2026) रु. 25000/-	26.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं अब तक प्रयोज्य सोसाइटी प्रभार श्रीमती राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
2.	**शा.का.: सूरजमल विहार** - 076710 सुश्री नेहा दुबे और श्री गौरव राज (कर्जदार) पता : ए-1/12, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-II, गाजियाबाद, उ.प्र., साथ ही: एचआईजी, फ्लैट नंबर जी-1, भूतल, प्लॉट नं. ए -60, ब्लॉक-ए, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन-II, गांव-ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना-लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र.	02.08.2017 रु. 26.92 लाख+पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 21.04.2018 भौतिक	आवासीय एचआईजी, फ्लैट, भूतल (छत के अधिकार रहित) सुपर कवर्ड एरिया 65.03 वर्ग मीटर, फ्रीहोल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट नं. ए-60, ब्लॉक-ए, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन-कक्क गांव-ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना-लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र., श्रीमती नेहा दुबे और श्री गौरव राज के नाम पर।	रु. 16.57 लाख रु. 1.70 लाख (26.05.2026) रु. 25000/-	26.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्रीमती राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
3.	**शा.का.: मयूर विहार** (440800) मैसर्स श्रीअमरनाथजी एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) पता: जी-24, वर्धमान मार्केट, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092 साथ ही: 90, प्रकाश इंडस्ट्रियल एस्टेट, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005, साथ ही: 13, दूसरी मंजिल, ऋषभ विहार, दिल्ली-110092. श्रीमती शिल्पी जैन पता: 13,2वीं मंजिल, ऋषभ विहार, दिल्ली-110092, श्री प्रवीण कुमार जैन पता: 13,2वीं मंजिल, ऋषभ विहार, दिल्ली-110092 श्री अरुण कुमार बंसल पुत्र श्री प्रकाश चंद बंसल पता: ए-11, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 साथ ही: 1049/ए, लोहियागली नंबर 5, पूर्वी बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली-110032	12.07.2017 रु. 403.98 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक व्यय 18.09.2017 भौतिक	आवासीय संपत्ति बेसमेंट, बी-5 विवेक विहार, दिल्ली क्षेत्रफल 646.200 वर्ग मीटर, जिसका प्लिंथ/कवर्ड एरिया 358.692 वर्ग मीटर है, श्रीमती शिल्पी जैन के नाम पर।	रु. 459.45 लाख रु. 45.95 लाख (26.05.2026) रु. 50000/-	26.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्रीमती राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
4.	**शा.का.: एआरएमबी पूर्वी दिल्ली** (807500) मैसर्स उडगन कृष्ण प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जद्वार) पता: मकान नंबर 344, सूर्यनगर फेज-II, सेक्टर-91, फरीदाबाद- 121003, हरियाणा। इसके अलावा: प्लॉट नंबर 92, डी एवं ई, पहली मंज़िल, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, फरीदाबाद, हरियाणा-121003. श्री आनंद सिंह कमरिया, पता: मकान नंबर 344, सूर्यनगर फेज-II, सेक्टर-91, फरीदाबाद-121003, हरियाणा। इसके अलावा: प्लॉट नंबर 92, डी एवं ई, पहली मंज़िल, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, फरीदाबाद, हरियाणा-121003, श्रीमती संजू यादव, पता: मकान नंबर 344, सूर्यनगर फेज-II, सेक्टर-91, फरीदाबाद-121003, हरियाणा। इसके अलावा: प्लॉट नंबर 92, ऊ& ए, पहली मंज़िल, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, फरीदाबाद, हरियाणा-121003	17.03.2025 रु. 204.71 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक व्यय 05.06.2025 भौतिक	आवासीय मकान संख्या 344, सूर्य नगर फेज-कक्क सेक्टर-91, फरीदाबाद-121003, हरियाणा। क्षेत्रफल: 187.50 वर्ग गज। सीमाएँ: पूर्व - मकान संख्या 343, पश्चिम - मकान संख्या 345, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - 30 फुट चौड़ी सड़क। श्रीमती संजू यादव और श्री आनंद सिंह कमरिया के नाम पर।	रु. 160.00 लाख रु. 16.00 लाख (26.05.2026) रु. 25000/-	26.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं श्रीमती राजबाला पुनिया (मो. नं. 9013609199) प्राधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली
5.	**शा.का.: एआरएमबी पूर्वी दिल्ली** (807500) मैसर्स आर एम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) पता: 205-206, दूसरी मंजिल प्लॉट नंबर 14, (एलएससी) नीलकंठ चैंबर कक्क सैनी एन्क्लेव, दिल्ली-110092 साथ ही: 129ए मेहतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश, श्री मदन मोहन वर्मा पुत्र श्री नत्थी लाल वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता: 303-304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक (एलएससी), सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 और साथ ही: 138, पहली मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली-110092 और साथ ही: 31, गुजरात विहार, दिल्ली-110092, श्रीमती प्रभा वर्मा पत्नी श्री मदन मोहन वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता: 303-304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक (एलएससी), सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 और साथ ही: 138, पहली मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, कड़कड़डूमा मेट्र